158

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनर्विलोकन (जिला - रीवा)

III/पुनर्विलोकन/रीवा/भू.रा./2017/3620

1. श्रीमती इन्द्रवती पत्नी स्व0 गणेशप्रसाद मिश्र
2. द्वारिकाप्रसाद पुत्र स्व0 गणेशप्रसाद
3. कामताप्रसाद पुत्र स्व0 गणेशप्रसाद

निवासीगण ग्राम पडवा तहसील हुजूर, जिला रीवा हाल निवास प्लाट नम्बर 12, विवेकानंद वार्ड, यादव कालौनी, जबलपुर म0प्र0

प्रेम सिंह गुर्जर, अभि0 3.10.17

3.10.17

......................आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन......................अनावेदक

CF-
6/10/17

पुनर्विलोकन याचिका अतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 25.07.2017 प्रकरण क्रमांकम 1488/2/2010 जो कि उक्त आदेश श्रीमान के द्वारा समक्ष प्रस्तुत की गई निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक 27.09.2010 प्रकरण क्रमांक 45/निगरानी 09–10 अंतर्गत पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

श्रीमान जी,

श्रीमान के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों सहित सादर प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के तथ्यः–

1. यहकि, आवेदकगण ग्राम मडवा थाना गोविन्दगण तहसील हुजूर जिला रीवा जबलपुर के स्थायी निवासी होकर न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायालय के आदेश का पूर्ण सम्मान करते हैं।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक तीन–पुनरावलोकन/रीवा/भू0रा0/2017/3620

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-10-2017	यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1488–दो/2010 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–7–2017 पर से म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के आदेश दिनांक 25–7–2017 के विरूद्ध पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार बताये गये हैं उनका निराकरण पूर्व में ही आदेश दिनांक 25–7–17 से किया जा चुका है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन के लिये निम्न आधार बताये गये हैं – 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदकगण के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके कि आदेश दिनांक 25–7–17 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल है अथवा उनके द्वारा ऐसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका हो। पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधार समाधानकारक न होने से इसी–स्तर पर निरस्त किया जाता है। सदस्य	